

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur

E-Mail- dlbrajasthan@gmail.com
Tel./Fax No.- 0141-2223074

क्रमांक: प.6 (लेखा)RTIDF/बैठक/डीएलबी/2017-18/43652

दिनांक: 31/12/2018

-:स्वीकृति आदेश:-

राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (RTIDF) संचालन समिति की 11वीं बैठक दिनांक 03.08.2017 के कार्यवाही विवरण क्रमांक 16393 दिनांक 14.08.2017 के एजेण्डा बिन्दु संख्या 11.5.4 में लिए गए निर्णयानुसार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर को वर्ष 2018-19 की संचालन हानि के विरुद्ध माह अगस्त-2018 से जनवरी 2019 की अवधि के लिये आर्थिक सहायता राशि रु. 2500.00लाख (अक्षरे रु. पच्चीस करोड़ मात्र) आरएसआरटीसी के निजी निक्षेप खाते में राशि रु. 2500.00 लाख के अतिरिक्त प्राक्धान की प्राप्त सहमति के अनुसरण में हस्तान्तरण निम्नानुसार किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की ओर से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(राशि लाखों में)

विकलेय मद	जारी की जाने वाली राशि
मांग संख्या - 51 3055- सड़क परिवहन 00 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट समूह योजना (07)- राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि [01]- परिवहन विभाग के माध्यम से 12- सहाय्यताथे अनुदान (राज्य निधि)	445.75
मांग संख्या - 30 3055- सड़क परिवहन 00 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोग (07)- राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि [01]- परिवहन विभाग के माध्यम से 12- सहाय्यताथे अनुदान (राज्य निधि)	337.00
मांग संख्या - 29 3055- सड़क परिवहन 00 800- अन्य व्यय (07)- राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि [04]- परिवहन विभाग के माध्यम से 12- सहाय्यताथे अनुदान (राज्य निधि)	1717.25
कुल योग	2500.00

उक्त राशि हस्तांतरण की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन जारी की गई है:-

01. उक्त राशि निर्धारित प्रयोजन के लिये ही उपयोग की जावेगी।
02. निगम राशि का व्यय करते समय योजना के दिशा-निर्देशों/संबंधित नियमों/निर्धारित प्रक्रिया एवं RTIP Act 2012/Rule 2013 की पूर्ण पालना किया जाना सुनिश्चित करेगा।
03. निगम भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा की आरटीआईडीएफ के नियमों की अक्षरशः पूर्ण पालना की गई है।
04. उक्त राशि परिवहन विभाग की आगामी महिनों में होने वाली प्राप्ति एवं देय राशि से समायोजनीय होगी।
05. आरएसआरटीसी उक्त अतिरिक्त प्राक्धान की राशि का समायोजन अनुपूरक मांग/संशोधित अनुमानों में यथासमय करवाया जाना सुनिश्चित करेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी. क्रमांक 171800954 दिनांक 30.11.2018 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.6 (लेखा)RTIDF/बैठक/डीएलबी/2017-18/43653-65

दिनांक: 31/12/2018

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाथे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
03. महालेखाकर (लेखा एवं हक)/लेखा परीक्षा-प्रथम/द्वितीय, राजस्थान जयपुर।

04. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
05. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं आयुक्त, परिवहन विभाग, राज0 जयपुर।
06. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
07. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
08. निजी, सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
09. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, राज0 जयपुर।
10. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर को 05 अतिरिक्त प्रतियों में प्रेषित कर निवेदन हैं कि राशि रु. 2500.00लाख (अक्षरे रु. पच्चीस करोड़ मात्र) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर के निजी निक्षेप खाता संख्या 3821 में हस्तान्तरित करने का श्रम करावें।
11. क्लर्क/कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय जयपुर।
12. प्रभारी वेबसाइट/समन्वयक सी.एम.ए.आर. को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. प्रभारी अंक मिलान शाखा।


 (एस.आर.मीणा)
 परियोजना निदेशक